

28.04.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही
नही की जा रही है। वादी अधिवक्ता को लगातार अवसर
दिये जा रहे है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज
लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी
अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र
अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।
पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



hiz
सहायक न्यायाधीश
एन उषाण्डाधिकारी
इनुमानपट्ट